न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 25 / 2020

अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र मनोहरदास जाति स्वामी निवासी गोकुलपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–सायल

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र मंगलाराम जाति सुथार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. नेतराम पुत्र मंगलाराम जाति सुथार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. बृजलाल पुत्र मंगलाराम जाति सुथार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. मनीराम पुत्र मंगलाराम जाति सुथार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल गैरसायल

6. भागीरथ पुत्र मनोहरदास जाति स्वामी निवासी गोकुलपुरा तहसील नोहर।
7. रामस्वरूप पुत्र मनोहरदास जाति स्वामी निवासी गोकुलपुरा तहसील नोहर।
8. हाकमराम पुत्र मनोहरदास जाति स्वामी निवासी गोकुलपुरा तहसील नोहर।

–तरतीबी गैरसायल

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा जोशी , अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 24/09/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मोजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 49 / 45 के प0न0 239 / 389 (21) के किला न0 1 ता 10 प्रत्येक 0.2530हैक कुल 2.5300हैक भूमि सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 33 / 28 की कुल 239 / 389(21) किला न0 11 ता 20 प्रत्येक 0.2530हैक , 21 / 1 की 0.2270 ,22 / 2 , 23 / 1 ,24 / 2 व 25 / 2 प्रत्येक 0.2280हैक व प0न0 239 / 390(24) किला न0 1 / 0.2530 ,2 / .2530 ,3 / 1 की 0.2030, 9 ता 12 प्रत्येक 0.2530हैक कुल 5.3900हैक भूमि गैरसायल न0 1 ता 4 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 अपने खेत रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के प0न0 239 / 389(21) के किला न0 11 ,20 ,21 के मिन पश्चिम में दक्षिण से उत्तर चलकर अपने खेत प0न0 239 / 389(21) किला न0 10 में प्रवेश करते है इसी रास्ता से सदामत से आवागमन करते आ रहे है यही रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुविधाजन है इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता सायल को अपने खेत में जाने के लिये नही है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है इसलिये गेरसायल संख्या 1 ता 4 इसका फायदा उठाकर कभी भी रास्ता बन्द कर सकते है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायल उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

अत सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 14 आरडब्यलडी के प0न0 239 / 389(21) किला न0 11 ,20 ,21 में मिन पश्चिम में एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

एवं तरतीबी गैरसायल को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया जाता हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं अपने कथनों के समर्थन में इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया व मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जो शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायल एवं तरतीबी गैरसायल की चक 14 आरडब्ल्यूडी में गैरसायल के चिपते हुए खातेदारी भूमि है सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 अपने खेत रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के प0न0 239/389(21) के किला न0 11 ,20 ,21 के मिन पश्चिम में दक्षिण से उत्तर चलकर अपने खेत प0न0 239/389(21) किला न0 10 में प्रवेश करते है इसी रास्ता से सदामत से आवागमन करते आ रहे है यही रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुविधाजन है इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता सायल को अपने खेत में जाने के लिये नही है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है जिसे स्वीकृत करवाना चाहते है। सायल के कथनों को गैरसायल संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल जबाब पेश किया जा चुका है अर्थात गेरसायल को सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत करने पर ऐतराज नही है।

पेरोकार ने भी निवेदन किया की सायल अपनी खातेदारी भूमि को रास्ता के रूप में दर्ज/ स्वीकार किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार सायल एवं गैरसायल दोनो खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं एक दुसरे के चिपते हुए काश्तकार है।

सायल का कथन है कि सायल अपने खेत में जाने के लिये गैरसायल की भूमि में से होकर अपनी भूमि/खेत में पहुचता है इसी रास्ता से सदामत से अवागमन करता आ रहा है किन्तु यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है सायल के कथनो को गैरसायल संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये गैरसायल की भूमि में से सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता गेरसायल देने को तैयार है अर्थात आपसी सहमति से रास्ता स्वीकार करवाना चाहते है तथा काश्तकारो को उसकी जोत तक पहुचने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाना भी न्यायोचित है मौका रिपोर्ट के अनुसार भी स्पष्ट है कि सायल को प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता सायल को उसकी खातेदारी भूम में जाने के लिये नही है सायल का प्रार्थना पत्र गैरसयाल की सहमति के आधार पर स्वीकार योग्य है।

अतः साायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के प0न0 239/389(21) के किला न0 11 ,20 ,21 के मिन पश्चिम में एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि सायल गैरसायल को उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए देगा अर्थात गैरसायल के किला न0 15 के चिपते हुए सायल किला न0 6 की तीन बिश्वा भूमि गैरसायल को देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/07/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2020 / दिनांक

तहसीलदार,
नोहर

विषय :— स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना—पत्र सं0 25 सन 2021 निर्णय दिनांक

अनवान :—

1. धर्मपाल पुत्र मनोहरदास जाति स्वामी निवासी गोकुलपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

—सायल

बनाम्

2. ओमप्रकाश पुत्र मंगलाराम जाति सुथार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. नेतराम पुत्र मंगलाराम जाति सुथार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. बृजलाल पुत्र मंगलाराम जाति सुथार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
5. मनीराम पुत्र मंगलाराम जाति सुथार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल गैरसायल

7. भागीरथ पुत्र मनोहरदास जाति स्वामी निवासी गोकुलपुरा तहसील नोहर।
8. रामस्वरूप पुत्र मनोहरदास जाति स्वामी निवासी गोकुलपुरा तहसील नोहर।
9. हाकमराम पुत्र मनोहरदास जाति स्वामी निवासी गोकुलपुरा तहसील नोहर।

—तरतीबी गैरसायल

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के प0न0 239 / 389(21) के किला न0 11 ,20 ,21 के मिन पश्चिम में एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि सायल गैरसायलान को उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए देगा अर्थात गैरसायलान के किला न0 15 के चिपते हुए सायल किला न0 6 की तीन बिश्वा भूमि गैरसायलान को देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन / दर्ज किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर